


245/15



न्यायालय प्रमुख अधिकारी एवं फतेहपुर राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 244/2015

सलाउद्दीन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0-20 रामदेवरा के पास फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्त/अप्रार्थी---

---बनाम---

1- खातीजा पुत्री यासीन खां पत्नी सरवर जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं0-7 इमाम बाड़ा के पास फतेहपुर शोखावाटी जिला सीकर । 18 आदि

---रेस्पोंडेन्ट्स/प्रार्थीगण---

विधिक आपत्ति आवेदन बाबत अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज करने ।

---0---

उपस्थिति-

- 1-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट
- 2-श्री नरेशकुमार शर्मा एडवोकेट- प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट
- 3-श्री सोहनलाल एडवोकेट- अप्रार्थी/अपीलान्त

निर्णय दिनांक- 23.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अदालत मातहत में अलग अलग दो दावे बाबत उद्घोषणाएं एवं अहम स्थाई निवेधाना के पेश किये । उक्त दोनों दावों में विचाराधीन रहते हुये प्रतिवादी मेहमूद पुत्र कमरुद्दीन का दिनांक 16-9-2013 को देहान्त हो गया जिसका कायम मुकामी प्रार्थना पत्र दिनांक 6-8-15 को पेश किया । जिस पर अदालत मातहत ने कायम मुकामी समय पर पेश नहीं करने पर प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा दावा अबैत कर खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र आदेश T-22



--2--

तथा दावा वादी खारिज कर दिया। अदालत मातहत के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलान्ट ने अदालत हाजा में दो अलग अलग अपील पेश की। जिसमें प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 3 ने विधिक आपत्ति आवेदन पेश किया।

प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम नारी तहसील रामगढ रोखावाटी की तन में वर्तमान खसरा नं० 458 रकबा 4 30 हैक्टर पुराना खसरा नं० 345/2 रकबा 17 बीघा मूल खसरा नं०-0 345 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में से 17 बीघा भूमि राजस्थान कार्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 3 का पिता यासीन पुत्र रहीम खां कार्त करता था। जिस कारण उसे " बाई आपरेषान आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। एवं मूल खसरा नं०-345 की रोख 7 बीघा 14 बिस्वा रेस्पोंड सं०-4 से 7 के पिता कमरुद्दीन की खातेदारी में नामान्तरकरण संख्या-11 दिनांक 30-3-1960 को दर्ज हुई थी।

उक्त आराजी बाबत वादीगण ने मिथ्या दावा किया। जिसमें प्रतिवादी सं०-4 मेहमूद पुत्र कमरुद्दीन का देहान्त दिनांक 16-9-2013 को हो गया किन्तु वादीगण ने प्रतिवादी सं०-4 के वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिए अंदर मियाद 90 दिन आवेदन कायम मुकाम प्रस्तुत नहीं किया जिस कारण वाद पत्र अबैट हो गया। अबैटमेन्ट को सैट असाईड करवाने के लिये वादीगण ने आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत कोई आवेदन पेश नहीं किया। केवल एक प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4४४ सीपीसी का पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं०-4 के कायम मुकाम के लिये छुट प्राप्त करनी चाही जबकि इस प्रकार का आदेश-22 नियम-4 में कोई कानूनी प्रावधान नहीं ना ही मृत व्यक्ति के खिलाफ अथवा पक्ष में वाद पत्र को डिक्री किया जा सकता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं०-4 के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही समय सीमा में नहीं की और जब तक कायम मुकाम को अन्दर मियाद रेकार्ड पर नहीं लिया जावे वाद पत्र स्वतः ही अबैट हो जाता है जिसके लिये अलग से आदेश पारित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वादीगण ने अदालत मातहत में अबैटमेन्ट को सैट असाईड



--3--

4. सीपीसी के तहत दावा खारिज किया। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है। बकि आदेश-43 नियम-1 सीपीसी के तहत उसी आदेश की अपील होने का कानूनी प्रावधान है। वादीगण/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। यदि अपीलान्ट अदालत मातहत में आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करता और उस पर कोई आदेश पारित होता तो उसके विरुद्ध ही अपील पोषणीय थी। आदेश-22 नियम-4 सीपीसी के तहत पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में मेरा दावा खारिज किया है और दावा आदेश-22 नियम-9 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है तो उसकी अपील माननीय न्यायालय में पोषणीय है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में आदेश-22 नियम-4 सीपीसी में दावा अबैट का आदेश पारित किया है साथ ही दावा खारिज भी किया है। और जहां पर दावा खारिज किया जाता है उसकी अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। प्रतिवादी सं०-4 मेहमूद पुत्र कमरुद्दीन की तामिल हो चुकी थी वह अदालत मातहत में हाजिर नहीं आया जिस पर अदालत मातहत में उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 5-4-2013 को ही लाई जा चुकी है जबकि उसकी मृत्यु दिनांक 16-9-2013 को हुई है। इस प्रकार जिस पक्षकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाती है उसके विरुद्ध दावा सम्पूर्ण रूप से अबैट नहीं किया जा सकता। सर्व प्रथम अदालत मातहत का आदेश ही विधि विरुद्ध है। आदेश-22 नियम-9 सीपीसी में मेरा दावा खारिज किया है जिसकी अपील श्रीमान्जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जो आदेश-43 नियम-1 सीपीसी में स्पष्ट दर्ज है। प्रार्थीगण की भी जिम्मेदारी थी की वह अदालत मातहत में प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना आदेश-22 नियम-10क सीपीसी के तहत न्यायालय में देते। प्रार्थीगण का ऐसा कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं है। अपीलान्ट का दावा घोषणा का है जिसका निर्णय किसी कानूनी बिन्दु पर न कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये किन्तु



--4--

अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित कानूनी बिन्दु पर पारित किया है। जबकि जिस पक्षकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है उसके विरुद्ध इतना कठोर आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये था। न्यायालय को इस प्रकार के निर्णय में नरम रूख अपना कर आदेश पारित करना चाहिये। किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय कानून के विपरित कठोरतम पारित किया है। जिसमें वादीगण का दावा भी खारिज किया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति खारिज किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

बहस बगौर समाहत की गई। प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत में वादी ने दिनांक 19-10-15 को प्रार्थना पत्र आदेश-22 नियम-4 सीपीसी का पेशा कर प्रतिवादी सं0-4 के विधिक वारिसान का रेकार्ड पर लिये जाने की छूट प्रदान करने का पेशा किया प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का जबाब पेशा किया जिसमें दर्ज किया है कि प्रतिवादी मेहमूद पुत्र कमरुद्दीन का देहान्त दिनांक 16-9-2013 को हो गया। जबकि वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या-4 की मृत्यु की दिनांक नहीं दर्ज की। दावे का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-4 एक ही वार्ड के तथा एक ही समाज के व्यक्ति है। अर्थात् अपीलान्त को प्रतिवादी सं0-4 की मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिनांक से ही थी। अब यहां पर प्रश्न यह है कि अपीलाधीन आदेश की अपील अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार की है अथवा नहीं। अदालत मातहत ने अपना निर्णय आवेदन बाबत दाव अडैट घोषित कर खारिज कर दावा सम्पूर्ण रूप से खारिज करने पर आदेश पारित किया है। दावा आदेश-22 नियम-4 सीपीसी के तहत अडैट किया गया है। आदेश-43 नियम-1 सीपीसी में दर्ज किया गया है कि कौन कौन से आदेश की अपील पेशा की जावेगी। इस आदेश 43 नियम-1 सीपीसी में आदेश-22 नियम-4 सीपीसी की अपील अदालत हाजा में नहीं की जावेगी यह स्पष्ट दर्ज है अर्थात् इस आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में ही चाराजोही किये जाने का प्रावधान

19/10/15
1-प्रकार



है। अब दूसरा बिन्दू है कि दावा खारिज किया गया है। इस कारण दावा आदेश T-22 नियम-9 सीपीसी के तहत ही खारिज किया जा सकता है जिसकी अपील अदालत हाजा में पोषणीय है। किन्तु अदालत मातहत में प्रतिवादी/प्रार्थी ने दावा अबैत घोषित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर सुनवाई करते हुये अदालत मातहत ने प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र दावा अबैत घोषित कर दावा खारिज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया है जो पूर्णतया आदेश T-22 नियम-4 सीपीसी के तहत है और आदेश 22 नियम-4 सीपीसी की आदेश T-43 नियम-1 सीपीसी में दर्ज आदेशों की अपील की जानी है उसमें आदेश 22 नियम-4 सीपीसी के आदेश की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलान्ट का यह तर्क की मेरा दावा आदेश T-22 नियम-9 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है जिसके विरुद्ध अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही है। इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट का ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आदेश T-22 नियम-9 सीपीसी का ना तो पेश किया जाना पाया गया और न ही इस अदालत मातहत ने आदेश T-22 नियम-9 सीपीसी के तहत दावा खारिज किया है। अदालत मातहत ने दावा अबैत कर खारिज किया है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ही खारिज किया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अबैटमेंट का ही है जो आदेश T-22 नियम-4 सीपीसी के तहत है। जिसकी अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट विधिक आपति अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। इसी आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट की अपील संख्या-245/2015 सलाउद्दीन बनाम नसीर आदि भी इसी अनुसार निर्णित की जाती है। निर्णय की एक प्रति अपील संख्या-245/2015 में सलग्न की जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.4.2018 को सुनाया गया।


23/4/18
§ संतलान्त न्यायाधीश महाराज §
भू-संबन्ध न्यायाधीशकारी रिजर्वरी